न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/25/2019	01–10–2019	18–11–2020

01–कर्मवीर पुत्र मुरारी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दोसोद तहसील नीमराना अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

01–श्रीमती गुलाब देवी बेवा पतराम यादव

02–रामकुवार पुत्र पतराम यादव

03–ओमप्रकाश पुत्र पतराम यादव

04–अभय कुमार पुत्र पतराम यादव

05–अशोक कुमार पुत्र पतराम यादव

06–तहसीलदार भू0अ0बहरोड जिला अलवर ––रैस्पोडेन्ट

07–धर्मवीर पुत्र मुरारीसिंह जाति राजपूत

08–श्रीमती मगनदेवी बेवा मुरारीसिंह जाति राजपूत

09–श्रीमती कुसुमलता पुत्री मुरारीसिंह पत्नि विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवाडी तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा

10–श्रीमती मंजू देवी पुत्री मुरारीसिंह पत्नि बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चौहानो का बास बानसूर जिला अलवर

11–श्रीमती रेखा देवी पुत्री मुरारीसिंह पत्नि करणसिंह जाति राजपूत निवासी तसींग रोड बर्फ फैक्ट्री के पास मौहल्ला जैतपुरा बहरोड तहसील बहरोड अलवर। –तर0 रैस्पो0

अपील विरूद्ध तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 12–08–2002 नामान्तकरण संख्या 730 वांकै ग्राम दोसोद तहसील बहरोड जिला अलवर।

उपस्थितः–

01.श्री अमर सिंह यादव –वकील अपीलान्ट

02.श्री दिनेश कुमार यादव – रैस्पा0

03.श्री ब्रहप्रकाश यादव – रैस्पा0

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 12–08–2002 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 730 वाके ग्राम वाके ग्राम दोसोद तहसील बहरोड जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत ने अपीलीय आदेश दिनांक 12.8.2002 को बिना किसी प्रकार का नोटिय दिये हुए व बिना मौके व कब्जे की जॉच किये हुए बाला–बाला एकतरफा में पारित कर दिया। तहत अदालत ने डिक्री न्यायालय उपजिला कलक्टर बहरोड के आधार पर विवादित इंतकाल तस्दीक फरमाया है जो अपीलान्ट को पक्षकार बनाये हुए गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त की है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1530 का बदोवस्त सम्वत् 2020 में खसरा नंबर 1218 मिन 4 बीधा 1 बिस्वा, जिस गत खसरा नम्बर 1218 का बन्दोवस्त संवत् 2020 से पूर्व खसरा नम्बर 1100 रकबा 4 बीधा 1 बिस्वा था जो आराजी पैतृक है और जिस पर हमारा कब्जा अपने बुजर्गान के समय से गत काफी समय से बतौर खातेदार के चला आ रहा था। खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2045 में अपीलान्ट के पिता मुरारीसिंह का नाम व खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2058 में धर्मवीर सिंह पुत्र मुरारीसिंह का नाम दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट का कब्जा गत काफी समय से चला आ रहा है। असल रैस्पा0 का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा, बल्कि उन्होने अपीलान्ट के बाला बाला एकतरफा में उक्त डिक्री न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य जाहिर करके प्राप्त की है। रैस्पा0 कथित इंतकाल की आड में विवादित आराजी पर बलपूर्वक कब्जा करने व अपीलान्ट को बेदखल करने व विवादित आराजी को अन्य लोगों के हम में मुन्तकिल करना चहाते है। तहत अदालत के समक्ष विवादित इंतकाल में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे, विवादित आराजी में हम अपीलान्ट के हकूक निहित है और विवादित इंतकाल के कायम रहने से हमारे हकूक जायल होते है। अपीलीय आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलीय आदेश विधि अनुरूप नहीं है, क्योकि इंतकाल की कार्यवाही समरी प्रोसीडिग्स है। अपीलान्ट को इंतकाल संख्या 730 की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 24–07–2016 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून के साथ पेश की है एवं प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0का स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें एवं अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलीय इंतकाल तहत अदालत ने डिक्री न्यायालय उपजिला कलक्टर बहरोड के आधार पर दर्ज व तस्दीक किया है। तहत अदालत द्वारा कोई त्रुटी नही की गई है। तथा जाहिर किया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जाबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पस्ट करना होता है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 पर विचार किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक

...–08–2002 के विरूद्ध दिनांक 05–10–2016 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 14 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाधीन इंतकाल का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि अपीलीय आदेश दिनांक 12.8.2002 को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये हुए व बिना मौके व कब्जे की जॉच किये हुए बाला–बाला एकतरफा में पारित कर दिया। तहत अदालत ने डिक्री न्यायालय उपजिला कलक्टर बहरोड के आधार पर विवादित इंतकाल तस्दीक फरमाया है जो अपीलान्ट को पक्षकार बनाये हुए गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त की है तथा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन इंतकाल न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बहरोड के निर्णय/पर्चा डिक्री दिनांक 27.2.2001 की परिपेक्ष्य में तहत अदालत द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया है। तहत अदालत के निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 12–08–2002 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर, अलवर
अलवर (राज०)